

## कार्यालय—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक-/प्रश्नांलि-४/ ५०९८। -८७

/2018-19

दिनांक: ०७.३.१९

प्रश्नांक,

आर्थीज हायर सेकेन्डरी स्कूल,  
स्टाट नं० ८००घुरवा खेडा  
कानपुर नगर।

**प्रश्न-** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की घास १८ के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम १५के उपर नियम (४) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोबय,

सासानादेश सं०- ४१९/७०-८-२०१३-१८(२०)/१। दिनांक ०८-०५-२०१३ एवं शिक्षा निदेशक बेसिक के पत्र संख्या-शिपनि०(४०) ७८५४२-८३४ /२०१५-१६ दिनांक २९-०१-२०१० से निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में व्यवस्थी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता ढेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जाच अधिकारी के निरीक्षणोपरांत उपलब्ध कराई थी निरीक्षण आवश्यक आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक ०९-०३-२०१३ को लिए गए निर्वाचन के आवार्प्ति हायर सेकेन्डरी स्कूल, स्टाट नं० ८००घुरवा खेडा कानपुर नगर को सन् २०१८-१९ से आगामी दीन शैक्षिक सत्र हेतु ग्री से कक्षा ४ तक के लिये अनोन्ति मान्यता प्रदान करने की संस्कृता देता है। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यात्म है—

१—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और सभी किसी भी रूप में कक्षा ४ के भवात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

२—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्य-१) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाध्य-२) के उपरांतों का पालन करेगा।

३—विद्यालय प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा दिहीन समूह के बालकों को प्रदेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

४—पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की घास-१२ की उपरांतों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

५—सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन हुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संभाक को किसी स्टीनिंग प्रक्रिया के अध्यात्म नहीं करेगा।

६—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूल न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की घास-१५ के उपरांतों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

i. प्रदेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निकाला नहीं किया जायेगा।

ii. किसी भी बालक को शासीरिक दंड या गान्धीन कर्तव्य के अध्यात्म नहीं किया जायेगा।

iii. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

iv. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

v. अधिनियम के उपरांत ले अनुसार निःसत्यता ग्रस्त / विशेष स्वावरण्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रदेश दिया जाना।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की घास-२३ (१)के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करें।

vii. अध्यापक अधिनियम की घास २४ (१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करें।

७—विद्यालय समृद्धि प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आवार पर प्रारूप का पालन करेगा।

८—विद्यालय अधिनियम की घास १९ में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के बानकों और सन्नियां को बनाये रखेगा। अनियम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रस्तुकायें निम्नानुसार हैं—

क्रमांक	विद्यालय में उपलब्ध प्रस्तुकायाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का होमफल	8078 वर्ग मी०
2	कुल निर्मित क्षेत्र	720.38 वर्ग मी०
3	स्ट्रोड स्पॉट का होमफल	-
4	कक्षाओं की संख्या	14
5	प्रध्यापक—सह कार्यालय— सह भाष्टारगार के लिये कक्ष	2
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिवल पम्प उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुंच	बाधा रहित पहुंच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पदन सामग्री/झीला खेड़े—कुद उपस्थिती/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर भाव्यता प्राप्त कराये नहीं चलाई जाएगी।
- 10-विद्यालय भवनों या संरचनाओं या कीबॉड स्क्रीन का प्रयोग कैबिनेट शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11-विद्यालय को सीसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1900 (1900 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकूट किसी सीसाइटी के द्वारा या तदसमय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भागित किसी लोक चालू चलाया जा रहा है।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या समूह या किसी व्यक्ति व्यक्तियों के साथ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13-विद्यालय के लेखालों की किसी चार्टर्ड एकाउट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रभागित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जूहा स्कूल/झारखंड माध्यम/2018-19/33 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पश्चात के लिये इस संख्यांक का उल्लंघन करें।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों के पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
- 16-सोनाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17-संलग्न उपायों के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18-विद्यालय में शिक्षण कार्य टीडीटीए उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विद्यार्थी नियमों की परिधि में कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिये उह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
कानपुर नगर।

पृष्ठा/पृष्ठों-4/ /2018-19 तददिनांक।

- प्रतिलिपि-निर्भाविता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- शिक्षा निदेशक (द्वा)उत्तर प्रदेश निकातगंड लखनऊ।
  - 2- अधिकारी वैसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हलाहाल।
  - 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (द्वा)कानपुर मण्डल कानपुर।
  - 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
  - 5- अत्यरिक्त कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
  - 6- पिछड़ वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
  - 7- संविधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
  - 8- कार्यालय प्रांत।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
कानपुर नगर।